

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 9] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 13, 1968/पौष 23, 1889

No. 9] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 13, 1968/PAUSA 23, 1889

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

RESOLUTION

New Delhi, the 13th January 1968

No. 3(1)/67-BOT/P&P.—Under their Resolution No. 4-EP(Coord)/62 dated the 11th May, 1962, the then Ministry of Commerce and Industry (Department of International Trade), constituted a Board of Trade as an Advisory body to review all aspects of trade and commerce, and to make recommendations to Government from time to time on matters concerning internal trade and exports and the development of the Indian economy in general. The Board of Trade was reconstituted and its life further extended under Resolution No. 3(1)/66-BOT dated the 23rd June, 1966 of Government of India in the Ministry of Commerce.

2. The Export-Import Advisory Council is a body consisting of representatives concerned with the import and export trade of India, and was last set up for a period of two years under Resolution No. 1(11)/65-D.C. dated the 23rd December, 1965 of the Ministry of Commerce.

3. The Government of India have considered the question of reconstituting these two Advisory Bodies and examined their respective roles in the field of internal and external commerce. It is felt that while there is continuing need for a compact Board of Trade to make recommendations to Government from time to time on issues of commercial policy and administration, the Export and Import Advisory Council needs to be replaced by an Advisory Council on Trade whose functions should cover not only the field of

exports and imports but also problems of internal trade. The Government of India have accordingly decided to reconstitute the Board of Trade, with an initial tenure of two years, from January 1st, 1968 for the reconstituted Body, and to set up an Advisory Council on Trade in place of Export/Import Advisory Council also for a period of two years, beginning from January 1st, 1968.

4. The Advisory Council on Trade shall review, twice a year, the performance of the country's economy in its commercial aspect, consider problems relating to the expansion of exports, the regulation of imports, the operation of import and export trade controls, the working of commercial services, with particular reference to export marketing and export assistance, the organisation and expansion of the export sector of the economy, and the arrangements in regard to inter-India trade with particular reference to the procurement, sale and distribution of essential commodities.

5. The Advisory Council on Trade will include the representatives of some of the principal commercial organisations in the country and will be composed of as in Schedule I. It will be presided over by the Minister of Commerce and in his absence, by the Deputy Commerce Minister. Members of the Council will hold office for a period of two years at the end of which it will be reconstituted.

6. The Board of Trade will be a smaller body consisting of not more than 30 members, constituted as in Schedule II. It will be presided over by the Commerce Minister, and in his absence, by the Deputy Commerce Minister. The Commerce Secretary will function as its Executive Vice-Chairman. Members of the Board will hold office for two years at the end of which it will be reconstituted. The Board will concern itself mainly with problems and policies relating to the development of the country's internal and foreign commerce, and make recommendations to Government, from time to time, with particular reference to (1) expansion of production bearing on import savings and export earnings, (2) Product development and adaptation with a view to the expansion of overseas sales, (3) improvement in marketing mechanism and media, including the extension of state trading, (4) provision of commercial services for the benefit of the commercial community and (5) adoption of sound trading practices with a view to safeguarding the interest of consumers.

7. The Council and the Board shall have power to co-opt members, not exceeding five, for stated periods. The Chairman of the Council and the Board may also invite (specially) to their meetings such other persons as may be considered necessary from time to time.

8. The headquarters of the Board and the Council will be in New Delhi, but they may meet at any place in India.

9. The Board of Trade will have three Secretaries viz. —(1) Joint Secretary, Export Promotion, Ministry of Commerce (2) Commissioner, Civil Supplies, Ministry of Commerce and (3) Chief Controller of Imports & Exports, New Delhi. The Secretary of the Advisory Council on Trade will be the Chief Controller of Imports and Exports. The Secretaries of both the Board and the Council will be assisted in the discharge of their duties by the Deputy Secretary incharge of the Policy and Planning Section of the Ministry of Commerce and the Deputy Commissioner Civil Supplies.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman, Deputy Chairman, Members of the Board of Trade and Members of the Advisory Council on Trade, the Private and Military Secretaries to the President, the Prime Minister's Secretariat, the Planning Commission, all Ministries of the Government of India and all the State Governments in India.

2. Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

SCHEDULE I

Members of Advisory Council on Trade

Minister of Commerce	Chairman
Deputy Minister of Commerce	De. Chairman
Secretary, Ministry of Commerce.	

II. *Members of Parliament*

Shri Damani, S. R.	Member
Shri Jamal Moideen, J.	"
Shri Khaitan, R. P.	"
Shri Kulkarni, A. G.	"

III. *Representatives of Commercial and Industries Organisations.* *President, Indian Chamber of Commerce & Industry*

President, Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry	Shri L. N. Birla
President, Associated Chambers of Commerce & Industry of India	Mr. C. A. Pitts
President, All India Manufacturers Organisation	Shri B. D. Sen
Chairman, All India Importers Association	Shri R. C. Shah
President, Indian Films Federation	Shri Roshan Lal Malhotra
President, Federation of Indian Minerals Industries	Shri S. N. Khanna
President, Indian Jute Mills Association	Shri H. S. Singhal

IV. *Representatives of Public Sector Trading Organisations.*

Chairman, State Trading Corporation.	Shri B. P. Patel
Chairman, Minerals & Metals Trading Corporation	Shri T. P. Singh

V. *Commodity Boards.*

Chairman, All India Handloom Board.	} Shri M. A. Rangaswamy
Chairman, Silk Board	
Chairman, All India Handicrafts Board	Shri T. N. Singh
Chairman, Cardamom Board	} Shri Habib Mohamed
Chairman, Rubber Board	
Chairman, Coffee Board	Shri G. Mathias
Chairman, Coir Board	Shri V. M. Srikumaran Nayar
Chairman, Tea Board	Shri A. K. Roy

VI. *Non-Official Members*

Shri Anjaria, J. K.
 Shri Arunachalam, A. M. M.
 Shri Chacko, V. I.
 Shri Chowdhury, K. L.
 Shri Gautam Sarabhai
 Shri Gandhi, M. P.
 Shri Goyal, S. K.
 Smt. Jayakar, Pupul
 Shri Kalipada Mukherjee
 Shri Krishna, A. S.
 Shri Kader Kutty, A. K.
 Shri Mariwala, C. V.
 Shri Mohan, N. N.
 Shri Moraji, D. R.
 Shri Mudaliar, A. I.
 Shri Murukand, T.
 Shri Nagappa, Chertin
 Shri Nanda, H. P.
 Shri Rajah, M. S. P.

Shri Rajgharia, C. M.
 Shri Rajgharia, R. L.
 Shri Reddi, G. J.
 Shri Sanjoy Sen
 Shri Thaha, S. M.
 Shri Vasavada, S. R.

VII. <i>Representatives of Research and Developmental Organisations.</i>	<i>Present Incumbent</i>
Director General, Council of Scientific & Industrial Research	Dr. Atma Ram
Director General, Institute of Foreign Trade	Shri H. D. Shcurie
Director General, National Council of Applied Economic Research	Shri S. Bhoothalingam

VIII. <i>Representatives of Reserve Bank of India and Export Credit and Guarantee Corporation</i>	
Deputy Governor, Reserve Bank of India	Shri B. N. Adarkar
Managing Director, E. C. G. C.	Shri C. M. Ghorpade

IX. *Ex-Officio—Official Members*

Secretary, Department of Industrial Development, Ministry of Industrial Development and Company Affairs	Shri N. N. Wanchoo
Secretary, Planning Commission	Shri B. D. Pande
Special Secretary, Ministry of Commerce	Shri B. N. Banerji
Special Secretary, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance	Dr. I. G. Patel
Director General Technical Development	Shri B. D. Kalelkar
Development Commissioner, Small Scale Industry	Shri K. L. Nangappa
Chairman, Central Board of Direct Taxes	Shri S. A. L. Narayana Row
Commissioner, Civil Supplies	Shri G. C. L. Joneja
Jute Commissioner	Shri P. C. Bhagat
Textile Commissioner	Shri M. A. Rangaswamy
Iron & Steel Controller	Shri S. Sahay
Director General, Commercial Intelligence & Statistics	Shri S. G. Rao
Administrator, Kandla Free Trade Zone	Shri L. M. Kaul

Secretaries:

1. Chief Controller of Imports & Exports	Member-Secretary
2. Deputy Secretary Incharge of Policy and Planning Section	Secretary
3. Deputy Commissioner, Civil Supplies	Secretary

NOTE : Further nominations to the Advisory Council on Trade will be notified later.

SCHEDULE II

Members of Board of Trade

Minister of Commerce	Chairman
Deputy Minister of Commerce	Dy. Chairman
Secretary, Ministry of Commerce	Executive Vice-Chairman

*Members*II. *Members of Parliament*

Shri Khandubhai K. Desai, M. P.

III. *Representatives of Commercial and Industrial Organisations.**Present Incumbent*

President, Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry.	Shri L.N. Birla
President, Associated Chamber of Commerce and Industry of India	Mr. C.A. Pitts
Chairman, Federation of Indian Export Organisations	Shri P.A. Narielwala
President, Indian Banks Association, Bombay	Shri K.M.D. Thackersey
President, Indian National Steam ship Owners Association, Bombay	Shri G.T. Kamdar

IV. *Representatives of Public Sector Trading Organisations*

Chairman, State Trading Corporation.	Shri B.P. Patel
Chairman, Minerals & Metals Trading Corporation	Shri T.P. Singh

V. *Non-official Members*

Shri Birla, K. K.
 Shri Chidambaram, M. A.
 Shri Goenka, R. P.
 Shri Khatau, Dharamsey
 Shri Kasturbhai Lalbhai
 Shri Kirloskar, S. L.
 Shri Kothari, D. C.
 Shri Lokanathan, P. S.
 Shri Modi, K. N.
 Shri Mohd. Yusuf
 Shri Mookerjee, K. N.
 Shri Shah, B. K.
 Shri Tandon, P. L.
 Shri Tata, Naval.

VI. *Representative of Reserve Bank of India**Present Incumbent*

Deputy Governor, Reserve Bank of India, Bombay	Shri B. N. Adarkar
--	--------------------

VII. *Official Representatives
(Ex-officio)*

Secretary, Department of Agriculture, Ministry of Food & Agriculture.	Shri B. Sivaraman
Secretary, Department of Industrial Development, Ministry of Industrial Development & Company Affairs.	Shri N.N. Wanchoo
Special Secretary, Ministry of Commerce	Shri B.N. Banerjee
Special Secretary, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.	Shri I.G. Patel

Secretaries

Joint Secretary, Export Promotion Ministry of Commerce,
Chief Controller of Imports & Exports

Commissioner, Civil Supplies

A. C. BANERJEE, Jt. Secy.

वाणिज्य मंत्रालय**संकल्प**

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 1968

सं० 3(1)/67-बी० ओ० टी० पी० एण्ड पी० :—तत्कालीन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग) ने अपने संकल्प सं० ४-ई० पी० (कोआर्डे)/62 दिनांक 11 मई 1962 के अन्तर्गत व्यापार एवं वाणिज्य के सभी अंगों की समीक्षा करने तथा समय-समय पर स्वदेशी व्यापार एवं निर्यात तथा सामान्यतः भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास से सम्बद्ध मामलों पर सरकार को सिफारिशें करने के लिये एक सलाहकार निकाय के रूप में व्यापार बोर्ड का गठन किया था। भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के संकल्प संख्या 3(1)/66 बी० ओ० टी० दिनांक 23 जून 1966 के अन्तर्गत व्यापार बोर्ड का पुनर्गठन किया गया था तथा इसके कार्यकाल को और बढ़ा दिया गया था।

2. निर्यात-आयात सलाहकार परिषद् एक ऐसा निकाय है जिस में भारत के आयात तथा निर्यात व्यापार से सम्बद्ध प्रतिनिधि हैं तथा यह अंतिम बार वाणिज्य मंत्रालय के संकल्प सं० 1(11)/65-डी० सी० दिनांक 23 दिसम्बर, 1965 के अन्तर्गत दो वर्ष की अवधि के लिये स्थापित की गई थी।

3. भारत सरकार ने इन दोनों सलाहकार निकायों के पुनर्गठन के प्रश्न पर और स्वदेशी तथा वैदेशिक वाणिज्य के क्षेत्र में उन के तत्सम्बन्धी योगदान पर विचार किया है। यह अनुभव किया जाता है कि वाणिज्यिक नीति तथा प्रशासन संबंधी मामलों पर समय-समय पर सरकार को सुझाव देने के लिये एक सुसम्बद्ध व्यापार बोर्ड की आवश्यकता तो अब भी है किन्तु निर्यात तथा आयात सलाहकार परिषद् के स्थान पर एक व्यापार सलाहकार परिषद् का गठन अपेक्षित है जिस के कार्यों में न केवल निर्यात तथा आयात का क्षेत्र ही समाविष्ट हो, अपितु स्वदेशी व्यापार की समस्याएँ भी उसमें शामिल हों, भारत सरकार ने तदनुसार व्यापार बोर्ड का पुनर्गठन करने का निश्चय किया है और इस पुनर्गठित निकाय के लिये आरम्भ में 1 जनवरी, 1968 से दो वर्ष की अवधि रखी है तथा निर्यात/आयात सलाहकार परिषद् के स्थान पर एक व्यापार सलाहकार परिषद् का भी 1 जनवरी, 1968 से दो वर्ष की अवधि के लिये गठन करने का निश्चय किया है।

4. व्यापार सलाहकार परिषद् वर्ष में दो बार देश की अर्थ व्यवस्था के वाणिज्यिक पहलुओं के कार्य-निष्पादन की समीक्षा करेगी, निर्यातों के विस्तार से संबंधित समस्याओं, आयातों के विनियमन आयात तथा निर्यात नियंत्रणों के कार्यचालन निर्यात विषयन तथा निर्यात सहायता के विशेष संदर्भ में वाणिज्यिक सेवाओं के कार्यचालन अर्थव्यवस्था के निर्यात क्षेत्र के संगठन तथा विस्तार और अत्यावश्यक वस्तुओं की प्राप्ति बिक्री तथा वितरण के विशेष संदर्भ में स्वदेशी व्यापार के संबंध में प्रबंधों पर विचार करेगी।

5 व्यापार सलाहकार परिषद् में देश के कुछ प्रमुख वाणिज्यिक मण्डलों के प्रतिनिधि होंगे और इसका गठन अंतर्बोधी एंव के पतन होना । इसकी अध्यक्षता, वाणिज्य मंत्री और उनकी अनुपस्थिति में वाणिज्य उप-मंत्री करेंगे । परिषद् के सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा और उसकी समाप्ति पर इसका पुनर्गठन किया जाएगा ।

6 व्यापार बोर्ड अपेक्षाकृत एक छोटा निकाय होगा जिसमें 30 से अधिक सदस्य नहीं होंगे, इसका गठन अंतर्बोधी एंव के अंतर्गत होगा । इसका अध्यक्षता, वाणिज्य मंत्री और उनकी अनुपस्थिति में वाणिज्य उप-मंत्री करेंगे । वाणिज्य सचिव अपने कार्यकारी उप-सभापति होंगे । बोर्ड के सदस्य दो वर्ष तक पद धारण करेंगे और उनकी समाप्ति पर इसका पुनर्गठन होगा । बोर्ड प्रमुखतः देश के स्वदेशी तथा वैदेशिक वाणिज्य विकास में समस्याओं और नीतियों से सम्बद्ध कार्य करेगा और सरकार को इन मामलों में अपने पक्ष में सलाह देगा । (1) नायात में बकाय और निर्यात उपायों के लिये उपायों से बोर्ड, (2) वैदेशिक विपणन में प्रविष्टि का दृष्टि से उत्पादों का विकास और उनका अनुकूलन (3) विपणन व्यवस्था तथा माध्यमों में सुधार, जिसमें राज्य व्यापार का विस्तार भी शामिल है, (4) वाणिज्यिक सहायता के लाभ हेतु वाणिज्यिक सेवाओं की व्यवस्था और (5) उपभोक्ताओं का हितों का रक्षा का दृष्टि से व्यवस्थापन तथा सेवाओं का प्रस्तावना ।

7 परिषद् तथा बोर्ड को कथित अवधि का कार्य पारित करने में अधिक परेशानियों का सहयाजित करने का अधिकार होगा । बोर्ड तथा परिषद् का तब तक उपपत्ती बैठक सम्मेलन-समय एंव अन्य व्यक्तियों का भी, जिन्हें आवश्यक समझा जाय (विशेषतः) शामिल कर सका जाय ।

8 बोर्ड तथा परिषद् के प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में रहेंगे परन्तु इनकी बैठक भारत में किसी भी स्थान पर हो सकती है ।

9 व्यापार बोर्ड में लोग शामिल होंगे अर्थात् —

- (1) भारत सरकार, नायात मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, (2) आयुक्त, सिविल पूर्वा-वाणिज्य मंत्रालय और (3) नायात तथा निर्यात के मुख्य नियंत्रक नई दिल्ली ।

व्यापार सलाहकार परिषद् के सदस्य होंगे तथा निम्नलिखित के मुख्य नियंत्रक होंगे । बोर्ड तथा परिषद् दोनों के सचिवों को उक्त कार्य में सहयोग, वाणिज्य मंत्रालय के सचिव तथा आयोजना अनुभाग के कार्यकारी सचिव तथा सचिव पारित तथा आयुक्त करेंगे ।

आदेश

प्रादेश दिया जाता है कि सहायक एंव प्रतिव्यापार बोर्ड के मुख्य उपाययुक्त तथा सदस्यों और व्यापार सलाहकार परिषद् के सदस्यों, सचिवों के निजी एवं सचिव सचिव प्रधान मंत्री के सचिवालय, योजना आयोग, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा भारत की सभी राज्य सरकारों को भेजी जाये ।

2 यह भी प्रादेश दिया जाता है कि सार्वजनिक जानकारी के लिये इस संकल्प का भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय ।

अनुसूची एक

व्यापार सलाहकार परिषद् के सदस्य

वाणिज्य मंत्री	अध्यक्ष
वाणिज्य उप-मंत्री	उपाध्यक्ष
सचिव, वाणिज्य मन्त्रालय	

दो—संसद सदस्य

श्री दमानी, एस० आर०	सदस्य
श्री जमाल मोहदीन, जे०	”
श्री खेतान, आर० पी०	”
श्री कुलकर्णी, ए० जी०	”

तीन—वाणिज्यिक तथा औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि विद्यमान पदाधिकारी

अध्यक्ष, भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडलों का संघ	श्री एल० एन० बिड़ला
अध्यक्ष, एसोसिएटेड चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज आफ इंडिया	मि० सी० ए० पिट्स
अध्यक्ष, अखिल भारतीय निर्माता संगठन	श्री बी० डी० मोसानी
अध्यक्ष, अखिल भारतीय आयातक संघ	श्री आर० सी० शाह
अध्यक्ष, भारतीय फिल्मों का संघ	श्री रोशन लाल मलहोत्रा
अध्यक्ष, भारतीय खनिज उद्योगों का संघ	श्री एस० एन० खेतान
अध्यक्ष, भारतीय पटसन मिल संघ	श्री एच० एस० सिहानिया

चार—सरकारी क्षेत्र के व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि

अध्यक्ष, राज्य व्यापार निगम	श्री बी० पी० पटेल
अध्यक्ष, खनिज तथा धातु व्यापार निगम	श्री टी० पी० सिंह

पांच—वस्तु बोर्ड

अध्यक्ष, अखिल भारतीय हाथकरवा बोर्ड	}	श्री एम० ए० रंगास्वामी
अध्यक्ष, रेशम बोर्ड		
अध्यक्ष, अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड		श्री टी० एन० सिंह
अध्यक्ष, इलाइची बोर्ड	}	श्री हबीब मोहम्मद
अध्यक्ष, रबड़ बोर्ड		
अध्यक्ष, कापी बोर्ड		श्री जी० मेथियास
अध्यक्ष, नारिल जटा बोर्ड		श्री बी० एम० श्रीकुमारन नायर
अध्यक्ष, चाय बोर्ड		श्री ए० के० राय

छः—चैर-सरपारी सदस्य

- श्री अजारिया, जे० के०
 श्री अरुणाचलम्, ए० एम० एम०
 श्री चाको, वी० प्रार्ड०
 श्री चीधरी, के० एन०
 श्री गौतम माराभाई
 श्री गाधी, एम० दी०
 श्री गोयल, एम० के०
 श्रीमती जयकार पुपुल
 श्री कालीपद मुखर्जी
 श्री कृष्णा, ए० एम०
 श्री कादर कुट्टी, ए० के०
 श्री गरीबाला, मी० वी०
 श्री मंहन एन० एन०
 श्री मोरारजी, डी० आर०
 श्री मुदालियर ए० एल०
 श्री भुरकंडी, ज०
 श्री नागप्पा, चेत्तियर, ए०
 श्री नन्दा, एच० पी०
 श्री राजा, एम० एस० पी०
 श्री राजधरिया, मी० एम०
 श्री राजधरिया, आर० एल०
 श्री रेड्डी, जी० ज०
 श्री मजय सेन
 श्री धाहा, एस० एम०
 श्री वसावडा, एस० आर०

सात—गवेषणा तथा विकास संबंधी संगठनों के प्रतिनिधि

- महानिदेशक, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद्
 महानिदेशक, वैदेशिक व्यापार का संस्थान
 महानिदेशक, व्यावहारिक आर्थिक गवेषणा की राष्ट्रीय परिषद्

विद्यमान पदधारी

- डा० आत्मा राम
 श्री एच० डी० शोरी
 श्री एस० भूतलिंगम

आठ—रिजर्व बैंक आफ इण्डिया तथा निर्मात ऋण तथा

प्रतिभूति निगम के प्रतिनिधि

- डिप्टी गवर्नर, रिजर्व बैंक आफ इण्डिया
 प्रबंध निदेशक, निर्माण ऋण तथा प्रतिभूति निगम

- श्री वी० एन० अडारकर
 श्री सी० एम० घोरपडे

नी-पदेम-सरकारी सदस्य

मन्त्रि, औद्योगिक विकास विभाग, औद्योगिक विकास
 तथा समन्वय कार्य मन्त्रालय
 सचिव, योजना आयोग
 विशेष सचिव, वाणिज्य मन्त्रालय
 विशेष सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मन्त्रालय
 महानिदेशक, तकनीकी विकास
 विकास आयुक्त, लघु उद्योग
 अध्यक्ष, प्रत्यक्ष करों का केन्द्रीय बोर्ड
 आयुक्त, सिविल पूर्ति
 पटसन आयुक्त
 वस्त्र आयुक्त
 लोहा तथा इस्पात नियंत्रक
 महानिदेशक, वाणिज्यिक आमुचना तथा सांख्यिकी
 प्रशासक, काण्डला मुक्त व्यापार क्षेत्र

श्री एन० एन० बाबू
 श्री बी० डी० पांडे
 श्री बी० एन० बनर्जी
 डा० आई० जी० पटेल
 श्री बी० डी० कालेलकर
 श्री के० एल० तंगप्पा
 श्री एम० ए० एल० नारायण राव
 श्री जी० सी० एल० जुनेजा
 श्री पी० सी० भगत
 श्री एम० ए० रंगस्वामी
 श्री एस० सहाय
 श्री एस० जी० राव
 श्री एल० एम० कौल

सचिव

आयात तथा निर्यात के मुख्य नियंत्रक
 नीति तथा आयोजना अनुभाग के कार्यभारी उप-सचिव
 उप-आयुक्त सिविल पूर्ति

सदस्य सचिव
 सचिव
 सचिव

नोट— व्यापार सलाहकार परिषद् के और नामांकन बाद में अधिसूचन किये जायेंगे।

व्यापार बोर्ड के सदस्य**अनुसूची बो**

वाणिज्य मन्त्री
 वाणिज्य उप-मन्त्री
 सचिव, वाणिज्य मन्त्रालय

अध्यक्ष
 उपाध्यक्ष
 कार्यकारी उप-सभापति

सदस्य**दो-संसद् सदस्य**

श्री खण्डूभाई के० देसाई, संसद् सदस्य

तीन-वाणिज्यिक तथा औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि**विद्यमान पदधारी**

अध्यक्ष, भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डलों का संघ
 अध्यक्ष, एसोसिएटेड चेम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री आफ इण्डिया
 अध्यक्ष, भारतीय निर्यात संगठनों का संघ

श्री एल० एन बिड़ला
 मि० सी० ए० पिट्स
 श्री पी० ए० नारियलवाला

अध्यक्ष, भारतीय बैंक संघ, बम्बई श्री के० एम० डी० अक्कल
अध्यक्ष, इण्डियन नेशनल स्टीमशिप आनर्स एसोसिएशन, बम्बई श्री जी० टी० कामदार

चार—सरकारी क्षेत्र के व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि

अध्यक्ष, राज्य व्यापार निगम श्री बी० पी० पटेल
अध्यक्ष, खनिज तथा धातु व्यापार निगम श्री टी० पी० सिंह

पांच—गैर सरकारी सदस्य

श्री विड़ला, के० के०
" चिदम्बरम, एम० ए०
" गोयनका, आर० पी०
" खटाऊ, धरम से
" कस्तूरभाई, लाल भाई
" किरलोस्कर एस० एल०
" कोठारी, डी० सी०
" लोकनाथन, पी० एस०
" मोदी, के० एन०
" मोहम्मद युसुफ
" मुखर्जी के० एन०
" शाह, बी० के०
" टंडन, पी० एल०
" टाटा, नवल

छः—रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया का प्रतिनिधि

विवेकानंद पदधारी

डिप्टी गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, बम्बई श्री बी० एन० अडारकर

सात—सरकारी प्रतिनिधि (पदेन)

सचिव, कृषि विभाग, खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय श्री बी० सिद्धरामन
सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, औद्योगिक विकास तथा
समवाय कार्य मन्त्रालय श्री एन० एन० वाच
विशेष सचिव, वाणिज्य मन्त्रालय श्री बी० एन० बनर्जी
विशेष सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मन्त्रालय श्री आई० जी० पटेल

सचिव

संयुक्त सचिव, निर्यात संवर्धन, वणिज्य मन्त्रालय
आयात तथा निर्यात के मुख्य नियंत्रक
आयुक्त मित्रिल पूर्ति

ए.० सी० बनर्जी, संयुक्त सचिव ।